निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 79/दावा/2020 तारीख दायरा 09.07.2020

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 2020/00121

उनवान

1. गीताबाई पत्नी रंगलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना
2. पारी बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना
3. शान्ति बाई पत्नी बंशीलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज0)

—वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पिता भीमा जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
2. भंवरलाल पिता राधाकिशन जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
3. प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
4. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
5. रमेश पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज0)

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादी —श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आ ाय का पेश किया कि यह कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का बांसखेडा मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 46 पुरानी 39 की खसरा नम्बर 88 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी है वर्णित आराजी में से करीब 2 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं वर्णित आराजी मे से करीबन 2 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जबकि प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में भी नही है वर्णित आराजी में से करीबन 2 बीघा भुमि पर से वादीगण ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नही कि गई अन्तिम बार दिनांक 25.06.2020 को प्रतिवादीगण से कहने पर उन के द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार हो जाने से वाद उत्पन्न हुआ हैं।अतः प्रतिवादीगण 1 ता 5 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का बांसखेडा मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 46 पुरानी 39 की खसरा नम्बर 88 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी है वर्णित आराजी में से करीब 2 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया हैअतः प्रतिवादीगण 1 ता 5 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे

नकल जमाबन्दी ग्राम बामलाबेह संवत 2072 से 2075की खाता संख्या नया 46, पुराना 39 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का बांसखेडा मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 46 पुरानी 39 की खसरा नम्बर 88 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी है वर्णित आराजी मे से करीब 2 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है अतः प्रतिवादीगण 1 ता 5 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर०ए०एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलारा श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022 .

प्रकरण संख्या 79/दावा/2020

तारीख दायरा 09.07.2020

उनवान

1. गीताबाई पत्नी रंगलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना
2. पारी बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना
3. शान्ति बाई पत्नी वंशीलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी डेकडिया खेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज0)

–वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पिता भीमा जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथान
2. भंवरलाल पिता राधाकिशन जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
3. प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
4. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
5. रमेश पिता भंवरलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल मिन जानिब मुद्दालय ———————— ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का बांसखेडा मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 46 पुरानी 39 की खसरा नम्बर 88 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी है वर्णित आराजी में से करीब 2 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है अतः प्रतिवादीगण 1 ता 5 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री. अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड